महिलाओं की राजनीति मे सहभागिता

डॉ० अनिता रानी
(एसोसिएट प्रोफेसर)
संगीत विभाग
श्रीमती बी० डी० जैन गर्ल्स पी० जी० कॉलेज
आगरा (उ० प्र०)
ईमेलः dr.anita80@gmail.com

सारांश

स्वाधीनता की इस आधी शताब्दी से अधिक में भारत के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृस्य में काफी परिवर्तन हुए है। इस परिवर्तन का असर कमोवेश भारतीय नारी पर भी हुआ है। राजनीति, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा तथा सैन्य क्षेत्र में नारी ने पदार्पण ही नहीं किया बल्कि अपनी योग्यता एवं कुशलता के बल पर नए कीर्तिमान स्थापित किए है। वर्तमान क्षेत्र में नारी कई–कई उच्च प्रतिश्ठित पदों पर आसीन सफलतापूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन कर रही है

महिला सशक्तीकरण के लिए मूल सिद्धांत हैं कि महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार, वित्तीय सुरक्षा, न्यायिक शक्ति और वे सारे अधिकार जो पुरुषों को प्राप्त हैं वह मिलना चाहिए। मतलब ये कि महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकारों का आनंद मिलना चाहिए। अगर साफ शब्दों में कहें तो लिंग आधारित कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। महिलाओं को परस्पर सशक्त बनाना न केवल समानता के लिए आवश्यक है, अपितु यह निर्धनता में कमी लाने, आर्थिक विकास और नागरिक समाज को सुदृढ़ करने की हमारी लड़ाई में भी आवश्यक घटक है।

राजनीति में भी महिलाओं के सफल और असफल प्रसंग प्रसिद्ध हैं। जीजाबाई, इंदौर की रानी अहिल्या, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, गढ़मंडल की रानी अवंतीबाई, देवल रानी, हाड़ी रानी, कित्तूर की रानी चेनम्मा आदि के नाम सुनकर सीना चौड़ा हो जाता है। दूसरी ओर सम्राट अशोक की युवा पत्नी तिश्यरक्षिता ने राजमाता

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 17.08.2021
Approved: 15.09.2021

डॉ० अनिता रानी

महिलाओं की राजनीति मे सहभागिता

RJPP 2021,
Vol. XIX, No. II,

pp.263-266
Article No. 34

Online available at *:*
https://anubooks.com/rjpp-2021-vol-xix-no-1

पद्मावती के पुत्र कुणाल पर झूठा आरोप लगाकर उसे मृत्युदंड दिलवा दिया। रानी सुनीति ने राजा उत्तानपाद की गोद में बड़ी रानी सुमति के पुत्र को नहीं बैठने दिया। यद्यपि इस चोट और मां के मार्गदर्शन ने उसे ध्रुव बना दिया। हिन्दू और मुस्लिम शासकों की पटरानी, रानी और दासियों के बीच चलने वाले शड्यंत्रों से इतिहास के ग्रंथ तथा लोक आख्यान भरे हैं। दिल्ली के इतिहास में रजिया सुल्तान को कुशल प्रशासक के रूप में याद किया जाता है। शाहजहां का शासन वस्तुतः नूरजहां ही चलाती थी। असल में राजनीति का अर्थ केवल चुनाव लड़ना ही नहीं है। सामाजिक कार्यों में भाग लेकर नीति निर्माताओं को सही निर्णय के लिए मजबूर करना भी राजनीति ही है। यदि महिलाएं इसे समझें, तो उनकी भागीदारी दस या बीस नहीं, सौ प्रतिशत हो सकती है। अतः निष्कर्ष रूप में कह सकते है कि महिलाओं की राजनीती में पूर्ण सहभागिता रहती है।

मूल बिन्दु

महिला सशक्तिकरण, राजनीति, अधिकार, सहभागिता।

स्वाधीनता की इस आधी शताब्दी से अधिक में भारत के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृस्य में काफी परिवर्तन हुए है। इस परिवर्तन का असर कमोवेश भारतीय नारी पर भी हुआ है। राजनीति, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा तथा सैन्य क्षेत्र में नारी ने पदार्पण ही नहीं किया बल्कि अपनी योग्यता एवं कुशलता के बल पर नए कीर्तिमान स्थापित किए है। वर्तमान क्षेत्र में नारी कई–कई उच्च प्रतिष्ठित पदों पर आसीन सफलतापूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन कर रही है लेकिन क्या भारतीय नारियों के समक्ष वह सारी चुनौतियां व समस्यायें समाप्त हो गयी जो आदिकाल से उसे शोषित और भयभीत करती आयी है। यद्यपि भारतीय संस्कृति में महिलाओं का हमेशा से ही एक विशिष्ट स्थान रहा है। प्रकृति स्वरूपा नारी को परमेश्वर की शक्तियों के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। महान आचार शास्त्री एवं धर्मवेत्ता मनु ने कहा था, 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, तत्र देवता रमन्ते' अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। लेकिन पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का स्थान हमेशा गौण ही रहा है। महिलाओं को एक निश्चित दायरे तक ही सीमित कर दिया गया है। नारी अपनी अथक प्रयासों के बाद भी खुद को बेहतर स्थिति में नहीं ला पाई है।

महिला सशक्तीकरण के लिए मूल सिद्धांत हैं कि महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार, वित्तीय सुरक्षा, न्यायिक शक्ति और वे सारे अधिकार जो पुरुषों को प्राप्त हैं वह मिलना चाहिए। मतलब ये कि महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकारों का आनंद मिलना चाहिए। अगर साफ शब्दों में कहें तो लिंग आधारित कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। हालांकि परंपरागत मानदंड और ये प्रथा तेजी से बदल रहे हैं, फिर भी महिलाओं को ये जानना चाहिए कि उनके मूल और सामाजिक अधिकार क्या है। सशक्त महिलाओं का मतलब है कि महिलाओं को अपने व्यक्तिगत लाभों के साथ ही साथ ही समाज के लिए अपने स्वयं के निर्णय ले सकने में सक्षम हो । महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को भी अब पितृसत्ता में समान अधिकार मिल रहे है।

देश में महिलाओं की स्थिति, विशेषकर समाज के वंचित वर्गों की महिलाओं की स्थिति, ठीक नहीं है। बालिका को भोजन, शिक्षा, स्वास्थय परिचर्या की उपलब्धता जैसे पारिवारिक संसाधनों के आवंटन में अपने जन्म से पूर्व में और बाद में भेद–भाव का सामना करना पड़ता है और कभी–कभी कौमार्यवस्था में ही शीघ्र विवाह के लिए मजबूर होना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिलाएँ

खाना पकाने, जल लेकर आने, बच्चों को स्कूल भेजने, खेतों में काम करने, पशुओं को चारा देने तथा गायों का दूध निकालने जैसे– अल्प परिमाप्य कार्यों के भर से दोहरे रूप में दबी हुई हैं जबकि पुरूष घर में उत्पादित दूध और अनाज बेचने जैसे परिभाषित कार्य करते हैं। अल्पसंख्यक नहीं हैं अपितु 'दरकिनार की हुई बहुसंख्यक' हैं तथा परिवार में निर्णय लेने के क्रम में अलग – थलग पड़ी हुई हैं और समुदाय कार्यो तथा सामाजिक संस्थानों से मिले लाभों के सामान हिस्से की पूर्णतः भागीदारी नहीं हैं।

महिलाओं को परस्पर सशक्त बनाना न केवल समानता के लिए आवश्यक है, अपितु यह निर्धनता में कमी लाने, आर्थिक विकास और नागरिक समाज को सुदृढ़ करने की हमारी लड़ाई में भी आवश्यक घटक है। गरीबी से बेहाल परिवारों में महिलाओं और बच्चों को सदैव ही सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन्हें सहायता की जरूरत होती है। महिलाओं, विशेषकर माताओं को सशक्त बनाना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर ही वह स्थान है जहाँ वे अपने बच्चों का पालन – पोषण करती हैं और उनका चरित्र – निर्माण करती हैं।

राजनीति में भी महिलाओं के सफल और असफल प्रसंग प्रसिद्ध हैं। जीजाबाई, इंदौर की रानी अहिल्या, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, गढ़मंडल की रानी अवंतीबाई, देवल रानी, हाड़ी रानी, कित्तूर की रानी चेनम्मा आदि के नाम सुनकर सीना चौड़ा हो जाता है। दूसरी ओर सम्राट अशोक की युवा पत्नी तृियरक्षिता ने राजमाता पद्मावती के पुत्र कुणाल पर झूठा आरोप लगाकर उसे मृत्युदंड दिलवा दिया। रानी सुनीति ने राजा उत्तानपाद की गोद में बड़ी रानी सुमति के पुत्र को नहीं बैठने दिया। यद्यपि इस चोट और मां के मार्गदर्शन ने उसे ध्रुव बना दिया। हिन्दू और मुस्लिम शासकों की पटरानी, रानी और दासियों के बीच चलने वाले षड्यंत्रों से इतिहास के ग्रंथ तथा लोक आख्यान भरे हैं। दिल्ली के इतिहास में रजिया सुल्तान को कुशल प्रशासक के रूप में याद किया जाता है। शाहजहां का शासन वस्तुतः नूरजहां ही चलाती थी।

महिलाओं का उपयोग राजनीति साधने में भी होता है। गांधारी का धृतराष्ट्र से और सैल्यूकस की बेटी हेलन का चंद्रगुप्त से विवाह इसीलिए हुआ था। विवाह से रिश्ते ही नहीं, राजघराने भी मजबूत होते रहे हैं। कई हिन्दू घराने अपनी बहिन–बेटियां मुस्लिम शासकों को देकर सुरक्षित हो गये; पर कई स्वाभिमानी राजाओं ने इसके बजाय लड़ना और मरना स्वीकार किया। इसीलिए लोग आज चित्तौड़ के जौहर को याद करते हैं, उन कायर राजाओं को नहीं।

महिलाओं ने भी राजनीति को प्रभावित किया है। नेहरू की लेडी माउंटबेटन तथा जम्मू–कश्मीर के राजा हरिसिंह के प्रधानमंत्री रामचंद्र काक की विदेशी पत्नी से मित्रता थी। उनके दबाव से ही जम्मू–कश्मीर का विशय संयुक्त राश्ट्र में पहुंचा। सिक्किम के शासक की अमरीकी पत्नी ने भारत में विलय में कई बाधाएं डालीं; पर वह विफल हुई। अतः वह अपने बच्चों के साथ महल की कीमती और महत्वपूर्ण सामग्री लेकर स्वदेश चली गयी।

कई राजनीतिक महिलाएं जहां एक ओर कुशल प्रशासक सिद्ध हुई हैं, वहां तानाशाही, वंशवाद और भ्रष्टाचार के मामले में भी वे कम नहीं रहीं। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान तोड़ा; पर कांग्रेस की टूट और आपातकाल की कालिख भी उनके ही नाम दर्ज है। मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता और शशिकला के उदाहरण तो ताजे ही हैं। यहां इजराइल की गोल्डा मायर, इंग्लैंड की मार्गरेट थेचर, श्रीलंका में श्रीमाओ भंडारनायके आदि को भी याद करना होगा, जिन्होंने अपने काम से विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बनाया है।

महिलाओं की राजनीति में भागीदारी कब और कितनी हो, इस बारे में अलग–अलग राय हो

सकती है; पर यह तो सच ही है कि महिलाओं को प्रकृति ने बच्चों के पालन की एक विशेष जिम्मेदारी दी है। उसे निभाते हुए, जब बच्चे माँ के बिना भी रह सकें, तब उन्हें राजनीति में आना चाहिए। यदि ऐसा हो, तो फिर चुनाव में उन्हें कितने प्रतिशत स्थान मिलें, यह गौण हो जाता है। दुर्भाग्यवश इस बारे में सब दलों को जाति, वंश और मजहब के हिसाब से जिताऊ पुरुषों के घर की महिलाएं ही दिखायी देती हैं। जीतने पर उनका काम भी पुरुष ही करते हैं। इससे महिलाएं स्वयं ही दूसरे दर्जे की राजनेता बन रही हैं। असल में राजनीति का अर्थ केवल चुनाव लड़ना ही नहीं है। सामाजिक कार्यों में भाग लेकर नीति निर्माताओं को सही निर्णय के लिए मजबूर करना भी राजनीति ही है। यदि महिलाएं इसे समझें, तो उनकी भागीदारी दस या बीस नहीं, सौ प्रतिशत हो सकती है।

अतः निष्कर्ष रूप में कह सकते है कि महिलाओं की राजनीती में पूर्ण सहभागिता रही है।

संदर्भ

1. जैन अरविन्द, औरत होने की सजा, राजकमल पेपर बैक्स 1991
2. जैन अरविन्द, साप्ताहिक हिंदुस्तान, 20 दिसम्बर,1992
3. कारात वृंदा, भारतीय नारी संघर्ष और मुक्ति
3. कुमार मनीश, भारतीय नारी–कल आज और कल
4. नारीवादी राजनीति, संघर्ष एवं मुद्दे, संपादक– साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता